



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-21072025-264859
CG-RJ-E-21072025-264859

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3273]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2025/आषाढ़ 30, 1947

No. 3273]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2025/ASHADHA 30, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (गति शक्ति)]

अधिसूचना

जयपुर, 16 जुलाई, 2025

का.आ. 3346(अ).— केंद्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा-2 के खण्ड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित उपखंड, स्तम्भ (4) में उल्लिखित जिले के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य में “जयपुर मण्डल के जेरठी ददिया स्टेशन पर सभी सुविधाओं सहित गुड्स शेड/फ्रेट टर्मिनल का विकास” के लिए विशेष रेल परियोजना के सन्दर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप खंड अधिकारी	धोद	सीकर

[फा. सं. उपरे/जयपुर/ 12/2025 (कंप्युटर सं. 211210)]
एम. एल. मीना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Gati Shakti Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 16th July, 2025

S.O. 3346(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as ‘Competent Authority’ to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway project of “**Jerthi Dadia Goods Shed (JDD)- Development of Goods Shed/Freight Terminal with all facilities in Jaipur Division**” in the state of Rajasthan relating to sub division mentioned in column (3), District mentioned in Column (4) of the said Table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

S. N.	Competent Authority	Sub-Division	District
1	2	3	4
1	Sub Divisional Magistrate	Dhod	Sikar

[F. No. NWR-JP/12/2025 (Computer No.- 211210)]
M. L. MEENA, Chief Administrative Officer (Construction)/RSP